संख्या-121/2022/615/41-2022-77(बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 21 मार्च 2022**

विषय:-जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7783/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(55)/2021, दिनांक 09 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा** गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-151/2018/2724/41-2018-77(बजट)/2018 दिनॉक 27 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 2,35,44,000.00 (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 67,88,000.00 (रूपये सड़सठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत प्रायोजना में कतिपय कार्यो को जोड़े व घटाये जाने के कारण संशोधित आगणन रू0 3,42,81,000.00 (रूपये तीन करोड़ बयालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को उपलब्ध कराया गया था। उक्त संशोधित आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में गठित अप्रेजल समिति से आंकलन कराये जाने के उपरान्त रू0 3,06,81,000.00 (रूपये तीन करोड़ छः लाख इक्यासी हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-193/2019/1961/41-2019-77(बजट)/2018 दिनॉक 11 जुलाई, 2019 द्वारा जारी की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनॉक 06 जनवरी, 2020 द्वारा रू0-238.93 लाख अवमुक्त की गई । उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 को छोडकर प्रायोजना की समस्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-4758/6-1-1(16)ब्र0ती0वि0प0/2019 दिनांक 18-11-21 द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गई **धनराशि रू0-33.61 लाख को अवमुक्त** करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। **तत्क्रम में** शासन के पत्रांक-704/2021/4341/41-2021-77(बजट)/2018 दिनांक 13-12-21 द्वारा महानिदेशक पर्यटन से प्रायोजना की टेण्डर्ड लागत/उक्त के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण/डिफेक्ट लाइबिल्टीज अवधि के लिये 05 प्रतिशत धनराशि को रोके जाने के तथ्य को संज्ञान में रखते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ।

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुख्य कार्यपालक अधिकरी उ0प्र0 ब्र0ती0वि0प0 के पत्रांक1025/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22 दिनांक 23-2-22 के आधार पर संदर्भगत योजना के फरवरी 2021 में पूर्ण होने के उपरान्त लोकार्पण हो जाने का उल्लेख करते हुये प्रायोजना के सापेक्ष डिफेक्ट लाइबिल्टीज अवधि के लिये 05 प्रतिशत धनराशि को रोका जाना यथेष्ट नहीं होने का उल्लेख किया गया है **और पूर्व प्रेषित प्रस्ताव रू0-33.61 लाख के स्थान पर सम्प्रति जी0एस0टी0 की धनराशि सहित अवशेष धनराशि रू0-35.20 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।** उक्त के क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आगणन/निविदा प्रपत्र/ टेण्डर्ड लागत /मदवार व्यय विवरण /ठेकेदारों के साथ अनुबंध /ठेकेदारों को निर्गत कार्यादेश /कार्य के विचलन की स्वीकृति/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपयोगिता प्रमाण पत्र/ स्थल के रंगीन फोटोग्राफ्स आदि संलग्न कर भेजे जाने का उल्लेख किया गया है और अवशेष धनराशि रू0-35.20 लाख अवमुक्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है **परन्तु प्रायोजना की टेण्डर लागत एवं उसके सापेक्ष मदवार व्यय विवरण अद्यावधि अप्राप्त है।**

4- अत: वर्णित परिस्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रायोजना हेतु निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर अवशेष धनराशि रू0-35.20 लाख (रू0 पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान करने का श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं कि ***निदेशालय स्तर पर भुगतान के पूर्व उपरोक्त सभी संगत प्रपत्रों को प्राप्त कर अवशेष धनराशि की पुष्टि कर ली जायेगी और परियोजना की मूल स्वीकृति में अंकित कार्यों एवं उनकी निविदा लागत के सापेक्ष यदि किसी प्रकार का विचलन किया गया है तो उसके संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।***

5- उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-151/2018/2724/41-2018-77(बजट)/2018 दिनॉक 27 अगस्त, 2018/ शासनादेश संख्या-193/2019/1961/41-2019-77(बजट) /2018 दिनॉक 11 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनॉक 06 जनवरी, 2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में *प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस* सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यो के लिये मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को सेन्टेज अनुमन्य नहीं किया गया है।

6- प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।